न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या. 61 / 2023
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 15.06.2023
निर्णय दिनांक: 30.03.2026

अनवान

1. प्यारी देवी पिता किशन पत्नि किशनलाल जाति जाट निवासी सिन्देसर हाल निवासी मण्डपिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. अछाई उर्फ अणछी पिता किशन पत्नि प्रभु जाति जाट निवासी सिन्देसर हाल निवासी कचोलिया निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. धापु पिता किशन जी जाति जाट निवासी सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1. माधवलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा
2. रामलाल पिता हजारी जाति जाट निवासी सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा फौत
2/1 टमु विधवा स्व रामलाल जाति जाट निवासी सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा
2/2 सावरिया पिता रामलाल जाति जाट निवासी सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा
2/3 कैलाशचन्द्र पिता रामलाल जाति जाट निवासी सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा
2/4 दिनेशचन्द्र पिता रामलाल जाति जाट निवासी सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा
2/5 मन्जु पिता रामलाल जाति जाट निवासी सिन्देसर कला हाल निवासी मण्डपिया
3. कमला पिता किशनलाल जाति जाट निवासी सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा
4. सावरिया पिता रामलाल जी जाति जाट निवासी सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा
5.पटवारी हल्का पटवार हल्का सिन्देसरकला तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 CPC

उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थीगण – लादुलाल जाट
अधिवक्ता विपक्षीगण– शांतिलाल जाट

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत है कि विपक्षी संख्या 01 ने न्यायालय आप में एक वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के विरुद्ध आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जो बअनुवान माधवलाल बनाम रामलाल व अन्य जिसके पुराने प्रकरण संख्या 112/2004 रेवन्यु वाद एवं नये प्रकरण संख्या 48/2010 रेवन्यु वाद होकर दिनांक 19.03.2005 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 29.08.2022 को प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री प्रदान की गई। कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के संबंध में कभी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

कोई न्यायालय का सम्मन तामिल नही हुआ है न ही मिला प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 11.05.2003 में हुआ था प्रार्थीगण का विवाह हो जाने से प्रार्थीगण 11.05.2003 से अपने अपने ससुराल में रहने लग गयी प्रार्थीया संख्या 01 वर्ष 2004 में 19 वर्ष अर्थात बालिग थी प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के ससुराल सम्मन नोटिस भेजने चाहिए थे प्रार्थीगण 2003 से अपने अपने ससुराल में निवास कर रही थी विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण का अपुर्ण पता पेश किया गया न्यायालय आप द्वारा दिनांक 29.09.2009 को सम्मन जारी किये गये एवं आगामी पेशी दिनांक 30.10.2004 को नियत की गयी प्रार्थीगण की तामील किसी कमला के हस्ताक्षर है कमला ने प्रार्थीगण को उक्त समन नोटिस के बारे में कभी नही बताया दिनांक 30.10.2004 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य भ्रमण/ अवकाश पर होने से आगामी पेशी दिनांक 27.11.2004 को नियत की गयी दिनांक 27.11.2004 को प्रशासन गांवो के संग केम्प होने से उक्त दिनांक 22.01.2005 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य भ्रमण/अवकाश पर होने से आगामी पेशी दिनांक 19.03.2005 को नियत फरमायी गई दिनांक 19.03.2005 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी प्रार्थीगण की तामील उनके सही पते पर नही भेजी गई एवं सम्यक रूप से नही की गई जिससे प्रार्थीगण के मुकाबले प्रभावहीन है। कि प्रार्थीगण को न्यायालय आप द्वारा प्रदान की गई डिकी की पुर्व में कोई जानकारी नही थी क्योकि प्रार्थीगण की तामीने उनके सही पते पर नही भेजे गये एवं उसके उपर न्यायालय का सम्मन संम्यक रूप से तामील नही हुआ जिससे उक्त तामील की रिपोर्ट प्रार्थीगण का विवाह हो चुका है व अपने अपने ससुराल निवासी कर रही है एवं प्रार्थीया संख्या 01 बालिक है विपक्षी संख्या 01 ने न्यायालय आपको गलत पता व तथ्य बताकर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही दिनांक 19.03.2005 को करवाई गई जब की प्रार्थीगण को न्यायालय का सम्मन कभी प्राप्त नही हुआ इसीलिये वह न्यायालय में उपस्थित नही होने का यह समुचित आधार है जिसके आधार पर वह न्यायालय आप द्वारा दिनांक 29.08.2022 को प्रदान की गई डिकी को अपास्त कराने के अधिकारी है। यह कि प्रार्थीगण दिनांक 23.05.2023 को अपने खाते की जमाबन्दी निकलवाने हेतु पटवारी हल्का सिन्देसर कला के पास गये तब पटवारी हल्का ने डिकी के बारे में बताया तब उक्त डिकी व आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को प्रथम बार हुई उसके तत्पश्चात उक्त आदेश तथा डिकी की नकल नकल के लिये आवेदन दिनांक 23.05.2023 को न्यायालय आप में प्रस्तुत कर दिनांक 01.06.2023 प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उसके उपरान्त भी किसी भी सम्भावित आपतिवश प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने बाबत पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि विपक्षी संख्या 05 आप न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2022 को प्रारिम्भक व अन्तिम डिकी प्रदान की गई उसके आधार पर नामान्तकरण निर्णित करने पर उतारू है जिससे पक्षकार बनाया गया है, यह कि पक्षकारान को वास्तविक न्याय हेतु तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुकुल भी सभी पक्षकारनो को सुनने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना भी आवश्यक है ताकी सभी पक्षकारों को सही न्याय प्रदान हो सके एवं कोई भी पक्षकार न्याय से वचित न रहे है, अन्य उज्ररात वक्त बहस निवेदन किये जायेगे।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर बअनुवान माधवलाल बनाम रामलाल व अन्य जिसके पुराने प्रकरण संख्या 112/2004 रेवन्यु वाद एवं नये प्रकरण संख्या 48/2010 रेवन्यु वाद होकर दिनांक 19.03.2025 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई एवं प्रार्थीगण के विरूद्व

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

दिनांक 29.08.2022 को प्रारम्भिक व अन्तिम डिकी प्रदान की गई को अपास्त कर पक्षकारो का सुनने के पश्चात पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये डिकी प्रदान की जावें। ताईद में शपथपत्र प्रस्तुत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 02, 03, 04 बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की नकल मिली विपक्षी संख्या 01 माधवलाल की ओर से उक्त प्रकरण में प्रार्थनापत्र का जवाब माधवलाल की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है, कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 का विवरण स्वीकार है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण जब वादी माधवलाल की ओर से सन 2004 में वाद प्रस्तुत किया गया तब प्रार्थीगण नाबालिग थी जो जरिये वलियायत माता कमला बेवा किशनलाल की रक्षकता में वाद प्रस्तुत किया गया था व तामिल भी प्रोपर हुई थी प्रार्थीगण ने यह कथन गलत वर्णित किया कि सम्मन तामिल नही हुआ तथा यह भी गलत वर्णित किया कि दिनांक 11.05.2003 को विवाह हुआ व तब से ससुराल रहने लग गई क्योकि इस प्रार्थनापत्र में भी प्रार्थी संख्या 01 की उम्र 38 वर्ष, 02 की 34 वर्ष व 03 की 30 वर्ष बताई है व दावा 20 वर्ष पुर्व प्रस्तुत किया था इस हिसाब से भी 10 व 14 वर्ष की उम्र में कोई ससुराल नही रहती है वैसे भी प्रार्थीगण की आयु इस प्रार्थनापत्र में अधिक लिखी गई है। जब प्रार्थीया बालिग ही नही थी व ससुराल ही नही रहती तो ससुराल सम्मन क्यो भेजे व इस बात का एतराज इनकी माता कमलाबाई ने भी आज दिन तक नही किया व अपनी माता को किसी के कमलाबाई के हस्ताक्षर बताते है व उसके द्वारा सम्मन नोटिस के बारे में नहीं होना बताते है जबकि कमला प्रार्थीयागण की सगी माता है व सन् 2004 में एक साथ सिन्देसरकला में एक ही घर में निवास करते थे। दिनांक 19.03.2005 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीयागण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई व तामिल भी सही हुई है। यह कि प्रार्थनापत्र कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण वर्ष 2004 में अपनी माता प्रतिवादी संख्या 02 कमला के साथ ग्राम सिन्देसरकंला में निवास करती थी व नाबालिग होने से जरिये वलियायत माता को सम्मन नोटिस भेजे जो प्रोपर तामिल हुए व न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही सही की गई जिससे दिनांक 29.08.2022 को प्रदान की गई डिकी को अपास्त कराने के प्रार्थीगण अधिकारी नही है न ही एक तरफा कार्यवाही दिनांक 01.06.2005 को निरस्त करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीयागण ने मिथ्या कथन वर्णित किये है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है मुल वाद में प्रार्थी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 03 है प्रार्थी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 05 है व प्रार्थी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 06 है इनकी ओर से भी प्रतिवादी संख्या 02 कमला ने अधिवक्ता नियुक्त कर पुरे मामले की पैरवी दिनांक 29.08.2022 तक की व डिकी की जानकारी शुरू से ही थी। जिससे प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है व मयाद से भी बाहर है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 05 का विवरण हमारे से सम्बधित नही है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। न्यायालय सभी पक्षो को सुनकर ही डिकी पारित की है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण कानुनी है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत है तथा प्रार्थीगण की प्रार्थना मिथ्या है इस प्रकार की सहायता प्रार्थीयागण प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। विशेष कथन किया है, कि प्रार्थीगण के विरूद्ध जब वाद प्रस्तुत किया था तब प्रार्थीगण नाबालिग होकर अपनी माता कि साथ ग्राम सिन्देसरकला में निवास करती थी व सम्मन सही तामिल हुआ है तथा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

इन ही ओर से पैरवी भी अधिवक्ता द्वारा की गई। यह ही नहीं इनकी ओर से भी इनकी माता ने एक वाद कमला व अन्य बनाम रामा व अन्य उक्त वाद के बाद प्रस्तुत किया था जिसका वर्तमान नम्बर 213 सन् 2010 रे.वाद के होकर दिनांक 29.05.2024 को हो है जिसमे भी प्रार्थीया अणछी व धापु को नाबालिग बताकर इनकी ओर से भी वाद प्रस्तुत किया गया है ऐसी सूरत मे प्रार्थीयागण ने सही तथ्यो को छिपाकर आप न्यायालय मे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी रूप में चलने योग्य नही है।

पत्रावली पर दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए, निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 ने न्यायालय आप में एक वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के विरूद्ध आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जो बअनुवान माधवलाल बनाम रामलाल व अन्य जिसके पुराने प्रकरण संख्या 112/2004 रेवन्यु वाद एवं नये प्रकरण संख्या 48/2010 रेवन्यु वाद होकर दिनांक 19.03.2005 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 29.08.2022 को प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री प्रदान की गई। कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के संबंध में कभी कोई न्यायालय का सम्मन तामिल नही हुआ है न ही मिला प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 11.05.2003 में हुआ था प्रार्थीगण का विवाह हो जाने से प्रार्थीगण 11.05.2003 से अपने अपने ससुराल में रहने लग गयी प्रार्थीया संख्या 01 वर्ष 2004 में 19 वर्ष अर्थात बालिग थी प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के ससुराल सम्मन नोटिस भेजने चाहिए थे प्रार्थीगण 2003 से अपने अपने ससुराल में निवास कर रही थी विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण का अपूर्ण पता पेश किया गया न्यायालय आप द्वारा दिनांक 29.09.2009 को सम्मन जारी किये गये एवं आगामी पेशी दिनांक 30.10.2004 को नियत की गयी प्रार्थीगण की तामील किसी कमला के हस्ताक्षर है कमला ने प्रार्थीगण को उक्त सम्मन नोटिस के बारे में कभी नही बताया 19.03.2005 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी प्रार्थीगण की तामील उनके सही पते पर नही भेजी गई एवं सम्यक रूप से नही की गई जिससे प्रार्थीगण के मुकाबले प्रभावहीन है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर बअनुवान माधवलाल बनाम रामलाल व अन्य जिसके पुराने प्रकरण संख्या 112/2004 रेवन्यु वाद एवं नये प्रकरण संख्या 48/2010 रेवन्यु वाद होकर दिनांक 19.03.2025 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 29.08.2022 को प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री प्रदान की गई को अपास्त कर पक्षकारो को सुनने के पश्चात पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री प्रदान की जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया कि यह कि वादग्रस्त सम्पतिया जो प्रार्थीगण जब वादी माधवलाल की ओर से सन् 2004 में वाद प्रस्तुत किया गया तब प्रार्थीगण नाबालिग थी जो जरिये बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल की रक्षकता में वाद प्रस्तुत किया गया था व तामिल भी प्रोपर हुई थी प्रार्थीगण ने यह कथन गलत वर्णित किया कि सम्मन तामिल नही हुआ तथा यह भी गलत वर्णित किया कि दिनांक 11.05.2003 को विवाह हुआ व तब से ससुराल रहने लग गई क्योकि इस प्रार्थनापत्र में भी प्रार्थी संख्या 01 की उम्र 38 वर्ष, 02 की 34 वर्ष व 03 की 30 वर्ष बताई है व दावा 20 वर्ष पुर्व प्रस्तुत किया था इस हिसाब से भी 10 व 14 वर्ष की उम्र में कोई ससुराल नही रहती है वैसे भी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थीगण की आयु इस प्रार्थनापत्र में अधिक लिखी गई है। जब प्रार्थीया बालिग ही नही थी व ससुराल ही नही रहती तो ससुराल सम्मन क्यो भैजे व इस बात का एतराज इनकी माता कमलाबाई ने भी आज दिन तक नही किया व अपनी माता को किसी के कमलाबाई के हस्ताक्षर बताते है व उसके द्वारा सम्मन नोटिस के बारे में नही होना बताते है जबकि कमला प्रार्थीयागण की सगी माता है व सन् 2004 में एक साथ सिन्देसरकंला में एक ही घर में निवास करते थे। दिनांक 19.03.2005 को न्यायालय आप द्वारा प्रार्थीयागण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई व तामिल भी सही हुई है। प्रार्थीगण के विरूद्ध जब वाद प्रस्तुत किया था तब प्रार्थीगण नाबालिग होकर अपनी माता कि साथ ग्राम सिन्देसरकंला में निवास करती थी व सम्मन सही तामिल हुआ है तथा इन ही ओर से पैरवी भी अधिवक्ता द्वारा की गई। यह ही नही इनकी ओर से भी इनकी माता ने एक वाद कमला व अन्य बनाम रामा व अन्य उक्त वाद के बाद प्रस्तुत किया था जिसके वर्तमान नम्बर 213 सन् 2010 रे.वाद के होकर दिनांक 29.05.2024 को ही है जिसमें भी प्रार्थीया अणछी व धापु को नाबालिग बताकर इनकी ओर से भी वाद प्रस्तुत किया गया है ऐसी सुरत में प्रार्थीयागण ने सही तथ्यो को छिपाकर आप न्यायालय में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी रूप में चलने योग्य नही है निरस्त फरमाया जावे।

दोनो पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें– 2025 (2) CJ (Civ.),(Raj.) पेज 793 नवनीत शाह बनाम मुलचंद व अन्य में सिविल प्रक्रिया संहिता,1908–आदेश 9, नियम 13–यदि न्यायालय को यह यकीन है कि प्रतिरक्षी को अन्यथा रूप से कार्यवाही की जानकारी थी तथा वह उपस्थित हो सकता था तथा वादी के दावे का जवाब दे सकता था तो पारित की गयी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करवाने हेतु आवेदन 9 के नियम 13 का प्रयोग करके तामील न होने का आधार प्रस्तुत करने की अनुमति उसे नहीं दी जायेगी। बिन्दु संख्या 23. As held by Hon'ble ApeÛ Court in the case of Sunil Poddar and Ors- vs- Union Bank of India, (2008) 2SCC 326 an eÛparte decree cannot be set aside even if it is established that there was irregularity in service of summons- Therein the Court observed that if the Court is convinced that the defendant had otherwise knowledge of the proceedings and he could have appeared and answered the plaintiff's claim] he cannot put forward the ground of non&service of summons for setting aside eÛ&parte decree passed against him by invoking Rule 13 of Order 9, CPC of the Code-

2023 (3) CJ (Civ.),(Raj.), पेज 1541, रामगोपाल बनाम मांगीलाल उर्फ मांगीया व अन्य में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 9, नियम 13 सपठित धारा 151–आवेदन की खारिजगी का आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया–न्यायसंगतता प्रत्यर्थी को एक पक्षीय निर्णय तथा डिक्री की जानकारी पहले दिन से ही थी, लेकिन आवेदन सात वर्ष के विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत किया गया–अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर विद्यमान सामग्री के विरोधाभाषी हैं, आगे प्रत्यर्थी द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई भी कारण दर्शित नहीं किया गया–अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।, 2023(3)CJ(Civ.)(Raj.) पेज 1784, राजुलाल तेली बनाम बंशीलाल व अन्य में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 9, नियम 13, सपठित धारा 151–आवेदन में

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अभिनिर्धारित— निचले न्यायालय का आदेश यह दर्शित करता है कि प्रार्थी को वाद की पूर्ण जानकारी थी क्योंकि एक आपराधिक मामले में वह प्रविष्ट हो चुका था आगे, यह प्रकाश कि जब वादी का परीक्षण हुआ, तब प्रार्थी उपस्थित था नोटिस की तामील प्रार्थी के परिवार के वयस्क सदस्य को हुई— निर्धारित, हस्तक्षेप किये जाने के लिए कोई भी मामला निर्मित नहीं हुआ है। 2023 (3) CJ(Civ.)(Raj.) पेज 1923 रामजीलाल बनाम राधेश्याम झुनझुनवाला व अन्य के प्रस्तुत किये, के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 9, नियम 13 सपठित धारा 151 CPC इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा